



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228439
CG-DL-E-23072021-228439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2710]
No. 2710]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SHRAVANA 1, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

का.आ. 2916(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 और नियम 7 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केंद्रीय प्राधिकरण के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 582(अ), तारीख 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) क्रम संख्यांक 5 और 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- "5. माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस. मुरलीधर,
मुख्य न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय,
6. माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार,

- सदस्य

न्यायाधीश, कनाटक उच्च न्यायालय,

- सदस्य";

(ii) क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"8. माननीय न्यायमूर्ति श्री जोयमाल्या बागची,

न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष,

आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

- पदेन सदस्य"।

(iii) क्रम संख्यांक 9 से क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"9. सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा,

ज्येष्ठ अधिवक्ता

- सदस्य

10. श्री के.वी. विश्वनाथन

ज्येष्ठ अधिवक्ता

- सदस्य

11. श्री सिधार्थ लूथरा

ज्येष्ठ अधिवक्ता

- सदस्य

12. श्री मनन के. मिश्रा

ज्येष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद

- सदस्य

13. प्रो. बीना चिंतालापुरी

सेवानिवृत्त आचार्य, मनोविज्ञान,

- सदस्य

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

14. श्रीमति प्रीति प्रवीण पाटकर,

सामाजिक कार्यकर्ता

- सदस्य"।

[फा. सं. ए-60011/4/2015-एलएपी(जेयूस)]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 582(अ), तारीख 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा किए गए, अर्थात् :--

- (1) का.आ. 664(अ), तारीख 18 सितंबर, 1997;
- (2) का.आ. 554(अ), तारीख 07 जून, 2000;
- (3) का.आ. 655(अ), तारीख 11 जुलाई, 2000;
- (4) का.आ. 1050(अ), तारीख 27 सितंबर, 2004;
- (5) का.आ. 1682(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2005;
- (6) का.आ. 284(अ), तारीख 23 फरवरी, 2007;
- (7) का.आ. 95(अ), तारीख 7 जनवरी, 2009;
- (8) का.आ. 698(अ), तारीख 06 अप्रैल, 2011;

- (9) का.आ. 946(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2013;
- (10) का.आ. 2824(अ), तारीख 20 सितंबर, 2013;
- (11) का.आ. 1448(अ), तारीख 05 जून, 2014;
- (12) का.आ. 2085(अ), तारीख 20 अगस्त, 2014;
- (13) का.आ. 2440(अ), तारीख 07 सितंबर, 2015;
- (14) का.आ. 364(अ), तारीख 04 फरवरी, 2016;
- (15) का.आ. 3506(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016;
- (16) का.आ. 1717(अ) तारीख 30 मई, 2017;
- (17) का.आ. 3323(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017;
- (18) का.आ. 1492(अ) तारीख 05 अप्रैल, 2018;
- (19) का.आ. 1117(अ) तारीख 01 मार्च, 2019; और
- (20) का.आ. 2524(अ) तारीख 15 जुलाई, 2019।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2021

S.O. 2916(E).—In pursuance of sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), read with rule 3 and rule 7 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, nominates the following Members for the Central Authority and for that purpose hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 582 (E), dated the 13th August 1997, namely :-

In the said notification,-

- (i) for serial numbers 5 and 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“5. Hon'ble Dr. Justice S. Muralidhar, Chief Justice, Orissa High Court	-Member
6. Hon'ble Mr. Justice Aravind Kumar, Judge, Karnataka High Court	-Member”;
- (ii) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“8. Hon'ble Mr. Justice Joymalya Bagchi, Judge, High Court of Andhra Pradesh and Executive Chairman, Andhra Pradesh State Legal Services Authority	-Ex-officio Member”;
---	----------------------
- (iii) for serial numbers 9 to 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“9. Ms. Meenakshi Arora, Senior Advocate	-Member
---	---------

10. Mr. K.V. Vishwanathan, Senior Advocate	-Member
11. Mr. Siddharth Luthra, Senior Advocate	-Member
12. Mr. Manan K. Mishra, Senior Advocate and Chairman, Bar Council of India	-Member
13. Prof. Beena Chintalapuri, Retired Professor of Psychology, Osmania University, Hyderabad	-Member
14. Mrs. Priti Pravin Patkar, Social Worker,	-Member”.

[F.No. A-60011/4/2015-LAP (JUS)]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 582(E), dated the 13th August, 1997 and subsequently amended *vide*:-

- (1) S.O. 664(E), dated the 18th September, 1997;
- (2) S.O. 554(E), dated the 7th June, 2000;
- (3) S.O. 655(E), dated the 11th July, 2000,
- (4) S.O. 1050(E), dated the 27th September, 2004;
- (5) S.O. 1682(E), dated the 1st December, 2005;
- (6) S.O.284 (E), dated the 23rd February, 2007;
- (7) S.O.95 (E), dated the 7th January, 2009;
- (8) S.O.698 (E), dated the 6th April, 2011;
- (9) S.O.946 (E), dated the 11th April, 2013;
- (10) S.O.2824, (E), dated the 20th September, 2013;
- (11) S.O.1448, (E), dated the 5th June, 2014;
- (12) S.O.2085, (E) dated the 20th August, 2014;
- (13) S.O.2440, (E) dated the 7th September, 2015;
- (14) S.O. 364(E), dated 4th February, 2016;
- (15) S.O. 3506(E), dated 22nd November, 2016;
- (16) S.O. 1717(E), dated the 30th May, 2017;
- (17) S.O. 3323(E), dated 13th October, 2017;
- (18) S.O. 1492(E), dated 5th April, 2018;
- (19) S.O. 1117(E), dated 1st March, 2019; and
- (20) S.O. 2524(E), dated 15th July, 2019.